न्यायालय उपखण्ड अधि...
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर०ए०एस०)
तारीख दायर

तारीख ... 10/5/22

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 10.5.2023 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
356 / 2021	28-10-2021	10/5/23

उनवान

01. कैलाश देवी पत्नी श्री रामअवतार कौम अहीर निवासी ग्राम ऐलाका तहसील तिजारा जिला अलवर, हाल आबाद वार्ड नं0 5 तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: वादी

बनाम

01. मनीष कुमार
02. जगेश कुमार पुत्रान वेदप्रकाश
03. राज स्त्री वेदप्रकाश
04. औमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र सोहंगराम
05. सरोज पत्नी औमप्रकाश उर्फ ओमी
06. अंकित पुत्र औमप्रकाश उर्फ ओमी जाति मेघवाल निवासीगण वार्ड नं0 07 तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर
07. प्रेम प्रकाश नैना पुत्र सोंहगराम
08. उषा देवी पत्नी प्रेमप्रकाश नैना जाति मेघवाल निवासी ग्राम ऐलाका तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

------:: प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 0.99 हे0 वाके ग्राम ऐलाका तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी मिन वादीयां तन्हा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है मिन वादीयां विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल चली आ रही है तथा मौंके पर मिन वादीयां का वास्तविक कब्जा है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मिन वादीयां के नाम का अंकन दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादीगण गैरकाबिज गैरवास्ता विवादित आराजी है। प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के मिन वादीया की आराजी में आये रोज मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर वादीया को बेदखल करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादीगण को कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं है। मिन वादीयां की खातेदारी की भूमि में से गलत तरीके से सडक का निर्माण हो गया था, जो बावजूद रिट याचिका में स्टे के दौरान विधि विरुद्ध तरीके से सडक निकाली गई है। उसके बाद मिन वादीया की उक्त खातेदारी की भूमि दो भागों में बंट गई पूर्व की ओर ज्यादा जमीन गई व पश्चिम की और कम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

... गैरवास्ता विवादित आराजी है। प्रतिवादीगण बिना
किसी हक व अधिकार के मिन वादीया की आराजी में आये ...

जमीन शेष रह गई। जिससे मिन वादीयां को अब कोई एतराज नहीं है। मिन वादीया … वादीयां की खातेदारी की भागों में बंटी भूमि पर काश्त कारोबार करती चली आ रही है। प्रतिवादीगण की भूमि मिन वादीयां की खातेदारी की भूमि के साथ लगती हुई है। प्रतिवादीगण जोकि लडाका गुठमर्द किस्म के आदमी है, जो कानून कायदे की कतई परवाह नहीं करते है जो मिन वादीया व उसके परिवारजन से दिली रंजिश रखते है तथा वादीयां को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित कर जबरन कब्जा करने पर उतारू। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीया ने अपने आराजी की पूर्व में पैमाईश कराई हुई है। मिन वादीया पैमाईश के अनुसारी अपनी खातेदारी की भूमि पर पत्थरगढी करना चाहती है परन्तु प्रतिवादीगण बाहुबली होने के कारण व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति का झूंठा मुकदमा कराने की धमकी के कारण वादीया अपनी खातेदारी की भूमि पर पत्थरगढी नहीं करने दे रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एकराय मशवरा कर योजनाबद्व तरीके से दिनांक 16.10.2021 को समय करीब 3.00 बजे जेसीबी जमीन लेकर वादीयां की खातेदारी की भूमि में जबरन घुस आये और प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की जमीन व मिन वादीयां की खातेदारी की जमीन के मध्य डौल को जे सी बी मशीन से डौल को खत्म कर दिया व वादीयां की खातेदारी की भूमि में सडक की तरफ डाल दी व कब्जा करने का प्रयास किया मौके पर मिन वादीया ने आकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को ऐसा करने से मना किया जो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादीया को गन्दी गन्दी गालियां देकर बुरी तरह से थप्पड मुक्कों से मारपीट की व वादीया के कपडे फाड दिया और सडक पर ले जाकर पटक दिया। इसी दौरान मिन वादीया का पति व दो अन्य आदमी मोटर साईकिल पर आये उन्होने बमुश्किल वादीया को बचाया। जिसकी वादीया ने थाना तिजारा में रिपोर्ट संख्या 725/21 दर्ज कराई है। अब दिनांक 25.10.2021 को सुबह उपरोक्त समस्त प्रतिवादीगण एकराय मशवरा कर व योजनाबद्व तरीके से टैक्टर लेकर व अपन हाथों में लाठिया लेकर आ गये और वादीया की जमीन में मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर कब्जा करने का प्रयास किया। मौके पर वादीया व उसके पति ने मौके पर आकर इनको ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने ऐलालिया तौर पर कहां कि हम तेरी पूर्व व पश्चिमी की पूरी जमीन को लटठ के बाल पर कब्जा करेगें और हमें किसी ने रोका तो तेरे व तेरे पति तथा पूरे परिवार के खिलाफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का झूंठा मुकदमा दर्ज कराकर जेल में बन्द करवा देगें। प्रतिवादीगण जो कि काफी बाहुबली व लडका किस्म के आदमी है, जो बिना किसी हक व अधिकार के वादीया की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर वादीया को बेदखल करने पर आमादा है व पत्थरगढी नहीं करने दे रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक व दूषित इरादों में कामयाब हो गये तो वादीया को अजहद हानि होगी तथा दीगर मुकदमेंबाजी में उलझना पडेगा व वादीया को अपनी खातेदारी की भूमि से महरूम होना पडेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी तरह रूपयों में आंकी जाना संभव नहीं होगी। इसलिए वादीयां प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है। इसलिए वादीया को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। डिक्री इजराय हुक्मइम्तनाई दवामी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 0.99 है0 वाके ग्राम ऐलाका तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। मिन वादीया की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें, ना ही जबरन कब्जा करें ना ही वादीया को बेदखल करें, ना ही विवादित आराजी में जबरन कोई कच्चा पक्का निर्माण करें, ना ही प्रतिवादीगण मिन वादीया की खातेदारी की भूमि के किसी भी जुजको अपनी आराजी में मिलावें पत्थरगढी में कोई व्यवधान उत्पन्न ना करें। मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया व जवाब [illegible] अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र कैलाश देवी पत्नी रामाअवतार कोम अहीर निवासी ऐलाका तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादी की बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2074–2077 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 0.99 है0 वाके ग्राम ऐलाका तहसील तिजारा में वादी खातेदार अंकित है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 0.99 है0 वाके ग्राम ऐलाका तहसील तिजारा जिला अलवर पर वादीयां अपनी भूमि के सीमाज्ञान संबंधित आवेदन पत्र तहसीलदार तिजारा को प्रस्तुत करें तथा तहसीलदार तिजारा यथाशीघ्र उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराकर लगते हुये खसरा नम्बरों के मध्य की डोल निर्धारित करें व प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 वादी के नाम दर्ज खातेदारी हिस्से की भूमि पर वादी की कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने, जबरन कब्जा नहीं करने व निर्माण नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested